EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page No. 745
Date : 23-5-92

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

Amendment V

अधिसूचना

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 मई, 1992

सा.का.नि. 245—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालित लाईनें) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाईनें) साधारण संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाईनें) साधारण नियम, 1976 में,—

(1) अध्याय 1 में, नियम 2 में,—

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है";

(ii) खंड (13) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(13) 'रेल संरक्षा आयुक्त' से अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के पालन के लिये नियुक्त किया गया रेल संरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त भी है";

(2) अध्याय 4 में, नियम 28 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) वाहनों की लदाई : किसी वैगन या ट्रक की लदाई इस प्रकार नहीं की जायेगी कि उसका सकल भार धुरे के लिये अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन नियत अधिकतम सीमा से या ऐसा वहन क्षमता, यदि कोई हो, के फेरफार से जो उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन रेल प्रशासन द्वारा विहित किया जाए, अधिक हो जाए।

(3) अध्याय 16 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, "अधिनियम की धारा 47" शब्द और अंकों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 60" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

टिप्पण : भारतीय रेल (चालित लाईनें) साधारण नियम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 21-7-81 में सा.का.नि. सं. 445(अ) द्वारा अधिसूचित किये गये। इन नियमों का भारत के राजपत्र में तारीख 16 अप्रैल, 1983, 30 अप्रैल, 1983 और 27 जून, 1983 में प्रकाशित क्रमशः सा.का.नि. सं. 320, 353 और 514(अ) द्वारा संशोधन किया गया।

[सं. 89/सेफ्टी (ए और आर)/42/1]

एम.वी. श्रीनिवासन,
सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव

MGIPRRND—1202 RB/92—VII—11-7-92—250 Copies.

NOTIFICTION

(Railway Board)

New Delhi, the 11th May, 1992

G.S.R. 245.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (1) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(1) in Chapter 1, in rule 2,—

(i) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(ii) for clause (13), the following clause shall be substituted, namely :—

"(13) 'Commissioner of Railway Safety' means a Commissioner of Railway Safety appointed to exercise any functions under the Act and includes the Chief Commissioner of Railway Safety."

(2) in Chapter 4, for sub-rule (1) of rule 28, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Loading of vehicles.—No wagon or truck shall be so loaded as to exceed the maximum gross load on the axle fixed under sub-section (1) of section 72 of the Act or such varied carrying capacity if any, as may have been prescribed by the Railway Administration under sub-section (4) of the said section.

(3) in Chapter 16, in sub-rule (1) of rule 3, for the words and figures "section 47 of the Act", the words and figures "section 60 of the Act" shall be substituted.

NOTE.—The Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 have been notified in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i) dated 21-7-81, under G.S.R. No. 445(E). These rules were amended by notifications Nos. G.S.R. 320, 352 and 514(E) published in the Gazettes dated the 16th April, 1983, the 30th April, 1983 and 27th June, 1983 respectively.

[No. 89/Safety (A&R)/42/1]

M. V. SRINIVASAN, Member Traffic, Railway Board & Ex-Officio Secy

IndiaCode